


अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

452/16/223

संजु ५/५ शोभांग व ५-५

<p>जारी</p> <p>पेशी</p>	<p>2016/50/52 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर</p> <p>श्री मां० ल० वी० श्री निरेश शर्मा 3 ले 6</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए</p>
<p>7.9.21</p>	<p>संजु बनाम शोभांग</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट संख्या 03 से 06 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 23.10.2018 से आज दिनांक तक रेस्पोंडेंट संख्या 1,7 की तलबी हेतु नोटिस पेश करने हेतु एवं रेस्पोंडेंट संख्या 02 की कायम मुकाम की कार्यवाही करने हेतु बार बार अवसर प्रदान करने एवं 7 बार अंतिम अवसर दिये जाने के उपरान्त भी सम्मन/नोटिस तलबाना प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं कायम मुकाम की कार्यवाही नहीं की गई है। जाप्ता दीवानी के आदेश 09 नियम 5 के प्रावधानों अनुसार अभिभाषक अपीलांट ने न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है।</p> <p>अतः अपील अपीलांट आदेश 09 नियम 5 जाप्ता दीवानी (अपील अदम तकमील में) के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  अधिकारी अजमेर प्राधिकारी </p>	